न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 52 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. शिम्भुराम उर्फ बाबुलाल सैनी पुत्र जोधाराम, जाति माली, निवासी 230, ढ़ाणी रूपावाली तन हांसपुर, जिला सीकर हाल निवासी ग्राम कंचनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332715।
2. मुकेश पुत्र बाबुलाल, जाति माली, निवासी 230, ढ़ाणी रूपावाली तन हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332715।
3. सुरेन्द्र पुत्र बाबुलाल, जाति माली, निवासी 230, ढ़ाणी रूपावाली तन हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332715।
4. प्रभु पुत्र नारायण, निवासी 214, ढ़ाणी फिरासावाली तन हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332715।

जमानती / अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

सत्यमेव जयते

निर्णय

Web Copy Not Official

निर्णय दिनांकः 21 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **शिम्भुराम उर्फ बाबुलाल सैनी, मुकेश, सुरेन्द्र** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **शिम्भुराम उर्फ बाबुलाल सैनी पुत्र जोधाराम, जाति माली, की सम्पति जो आवासीय सम्पदा वाकै ग्राम खानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में खसरा नम्बर 897 अवस्थित है, जिसका नाप 400 वर्गमीटर है तथा जिसके उत्तर में दीगर भूखण्ड, दक्षिण में दीगर सम्पदा, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में दीगर सम्पदा स्थित हैं,** को बंधक रखकर **10,00,000/–**रूपये (अक्षरे

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

रूपये **दस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.02.2019** को तैयार कर **दिनांक 05.02.2019** को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.02.2019** को तैयार कर दिनांक **05.02.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय संस्थान को भारत के राजपत्र दिनांक 18.12.2015 में सरफेसी अधिनियिम के उपखण्ड के प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थान निर्दिष्ट किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **शिम्भुराम उर्फ बाबुलाल सैनी, मुकेश, सुरेन्द्र** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **शिम्भुराम उर्फ बाबुलाल सैनी पुत्र जोधाराम, जाति माली, की सम्पति जो आवासीय सम्पदा वाकै ग्राम खानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में खसरा नम्बर 897 अवस्थित है, जिसका नाप 400 वर्गमीटर है तथा जिसके उत्तर में दीगर भूखण्ड, दक्षिण में दीगर सम्पदा, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में दीगर सम्पदा स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 31 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/2019

(प्रज्ञा मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner